रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1991 (भाद्रपद 16, 1913)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1991 (BHADRA 16, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

## सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

## [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सचिव विभाग

बम्बई-400 023, दिनांक 5 अगस्त 1991

भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 24 में संशोधन ।

सं० 1—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उप-धारा 2(ढ) तथा उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 24 के उप-विनियम (i) और (ii) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्,

विनियम 24 के उप-विनियम (i) और (ii) के स्थान पर 6 जून, 1991 से निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

24 (i) "अधिनियम की धारा 8(1) (ख) और 8 (1) (ग) तथा 12(4) के अन्तर्गत नामित निदेशकों को केन्द्रीय बोर्ड और केन्द्रीय बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित रहने पर प्रति बैठक 300 रुपये की फीस प्राप्त होगी" ।

24(ii) "स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को स्थानीय बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने पर प्रति बैठक 300 रुपये की फीस प्राप्त होगी" ।

सा० सी० तारापोर,
कार्यपालक निदेशक

## भारतीय स्टेट बैंक

### केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 9 अगस्त 1991

क्र० 9/1991—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक कु० हसुबेन आर० गुर्जर के स्थान पर डा० (कु०) अमृता पटेल, "सविता", भीकाभाई मार्ग, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात), को स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के निर्देशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 9 अगस्त, 1991 से 8 अगस्त, 1994 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

हस्ताक्षर
अपठनीय
अध्यक्ष

## भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

### (चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

कलकत्ता—700 071, दिनांक 7 अगस्त 1991

नं० 3-ई० सी० ए० (5)/4/91-92—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4-सी० ए०(1)/24/67-68 दिनांक 7-10-1967, 3-ई० सी० ए० (4)/7/89-90 दिनांक 3-11-1989 और 3-ई० सी० ए० (4)/4/90-91 दिनांक 10-11-1990, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

| क्र० सं० | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 7678 | श्री बीर भद्रा मिश्रा, ए०सी०ए०, मैनेजर (पी० एण्ड जी०एस०) (डी०एम०), एल० आई०सी० आफ इंडिया, सी०एम० डी० ओ०, 16 चित्तरंजन एवेन्यू, 9 फलोर, कलकत्ता—700 072 | 18-4-1991 |
| 2. | 14451 | श्री रजत कान्ती घटक, ए० सी० ए०, 150ए, मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता—700 029. | 3-6-1991 |
| 3. | 43117 | श्री संजय कुमार सोमानी, ए० सी० ए०, केयर ओफ मंडरवानी कोलीरी, पी०ओ०—पान्डेवेश्वर, डिस्ट०—बरदवान पिन—713346. | 12-6-1991 |
| 4. | 51189 | श्री सोभनलाल वंद्योपाध्याय, एफ० सी० ए०, 1/ए, कामरडंगा रोड, फ्लैट-3, कलकत्ता—700 046. | 26-6-1991 |

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

## द इन्स्टिच्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता—700 016, दिनांक 30 जुलाई 1991

सं० 16 सी०डब्ल्यू० आर० (1112-1116)/91—कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन 1959 के विनियमन् 16 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स एक्ट 1959 की धारा 20 उपधारा (1) (ए) द्वारा दिये गये अधिकारियों के अनुसार द इन्स्टिच्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया की काउन्सिल ने अपने सदस्यता रजिस्टर से :

1. श्री वी० के० सीताराम भट्ट, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए० कालासा—577124 जि० चिकमंगलूर, कर्नाटका (सदस्यता सं० 1178) 15वीं अप्रैल, 1989 से प्रभावी ।

2. श्री डी० आर० एस० शिव शाह, बी० एस० सी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० 135, अईया मुदाली स्ट्रीट (ऊपरतल), चिन्ताद्रिपेट, मद्रास—600002. (सदस्य संख्या 4403) 6 जुलाई, 1989 से प्रभावी ।

3. श्री ई० के० व्यंकट रमण, बी० एस० सी० (इंजीनियरिंग) एफ० आई० ई०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० 34, टी० एस० वी० कोएल स्ट्रीट, मयलापुर, मद्रास — 600 004 (सदस्य संख्या 504) 24 मई, 1991 से प्रभावी ।

4. श्री मणिलाल बंधोपाध्याय, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० 14, राजकृष्ण स्ट्रीट, उत्तरपाडा–712258 (सदस्य संख्या 550) 19 मार्च, 1991 से प्रभावी तथा

5. श्री सी० टी० कारुप्पिया, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, उपमहाप्रबंधक (वित्त) ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि० मद्रास–600 001 (सदस्यता संख्या 2793) मृत्यु के कारण 24 मई, 1991 से प्रभावी—का नाम निकाल दिया गया है ।

एस० आर० आचार्य,
सेक्रेटरी

---

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 19 अगस्त, 1991

शुद्धिपत्र

सं० 2/1959/नि० स० बी०/छूट/89/भाग-I/3285—भारत के राजपत्र के भाग–III धारा–4 में दिनांक 14 अप्रैल, 1990 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2/1959/नि० स० बीमा/छूट/89/भाग–I/3119 दिनांक 28–3–1990 की अनुसूची–I में कालम संख्या–6 के नीचे क्र० सं० 1 के सामने उस अवधि की तिथि, जिसके लिए छूट को और आगे बढ़ाया गया है, को 31–12–1992 की बजाय 31–12–1991 पढ़ा जाए ।

दिनांक 20 अगस्त 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1398—जहां मैसर्स सिकालस लिमिटेड, 8, रूट लैण्ड ग्रेड, मद्रास-600006, (टी. एन./9817) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-12-87 से 30-11-90 और 1-12-90 से 30-11-93) ।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित भविष्य निधि आयुक्त, की ऐसी विवरणियां भेजेगा तथा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्देश करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क), के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1404—जहां मैसर्स इन्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा. लि. कालूर, कोचीन-17, (के. आर./3220) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या : एस-35014(336) 85-एस. एस. 2 तिथि 31-1-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 31-1-89 से 30-1-92 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 30-1-92 भी शामिल है ।

## अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है ।) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षा के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार

नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1410—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्षेत्र : दिल्ली

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि | पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि | अवधि जिसके लिए और छूट दी है | के० भ० नि०आ०—फाइल नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | मैसर्स जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (रजि०) 472/1, चिरुट चमन किशनगंज दिल्ली-110001 (और इसकी शाखाएं आगरा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन्दौर, कानपुर, रिवाड़ी, रोहतक, रतलाम, मेरठ) | डी०एल०/783 | 2/1959/डी०एल०आई०/एक्जाम/89/पार्ट-1/875 दिनांक 20-10-89 | 11-9-90 | 12-9-90 से 11-9-93 | 2/485/81—डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स इंजीनियर इंडिया लि०, 1 भीका जी, कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066 | डी०एल०/2097 | एस-35014/182/82/पी०एफ०-II/एस०एस०-II दिनांक 12-6-86 | 24-9-88 | 25-9-88 से 24-9-91 | 2/140/78—डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लि० नेहरू हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग/पो० बाक्स सं० 7057, नई दिल्ली-110002 | डी०एल०/2806 | 2/1959/डी०एल०आई०/एक्जाम/89/पार्ट-1 दिनांक 19-9-90 | 28-2-90 | 1-3-90 से 28-2-93 | 2/635/81-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि० लाल द्वारा बिल्डिंग लिंक रोड, तीर्थ नगर, नई दिल्ली-55 । | डी०एल०/2819 | एस-35014/184/85/एस० एस०IV, दिनांक 21-8-85 | 20-8-88 | 21-8-88 से 20-8-91 | 2/1269/80-डी० एल० आई० |

## अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशित या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 23 अगस्त, 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1416—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बड़ौदा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–1

क्षेत्र : बड़ौदा

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एलैम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, एलैम्बिक रोड, बड़ौदा-390003 | जीजे/981 | 1-11-89 से 31-10-92 | 2/3704/91 |
| 2. | दी पंच महल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, लूना वाला रोड, पी० पी० नं० 37, गोदरा-389001 | जीजे/3574 | 1-4-91 से 31-3-94 | 2/3705/91 |
| 3. | फारमसन फारमेटिकल्स, गुजरात (प्रा०), लि०, शंकर भवन, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005 | जीजे/4000 | 1-4-88 से 28-2-90 | 2/3603/91 |
| 4. | पौशक लिमिटेड, एलैम्बिक रोड, बड़ौदा-390003 | जीजे/6851 | 1-11-89 से 31-10-92 | 2/3706/91 |
| 5. | एसक्वायर इन्टरप्राइजिज, प्लाट नं० 666, जी आई डी सी एस्टेट, मेकरपुरा, बड़ौदा-390010 | जीजे/11079-ए | 1-3-90 से 28-2-93 | 2/3707/91 |
| 6. | मनीश इलैक्ट्रीकल्स, 377, जी आई डी सी, एस्टेट, मेकरपुरा, बड़ौदा | जीजे/11266 | 1-6-90 से 31-5-93 | 2/3708/91 |
| 7. | तिरुपति, ग्रान्टीज (प्रा०) लि०, 34, कुंज सोसायटी, अक्कापुरी, बड़ौदा-390005 | जी जे/15367 | 1-3-90 से 31-2-93 | 2/3709/91 |
| 8. | यूनीफेब इन्जीनियर्स, प्लाट नं० 107, जी आई डी सी, मेकरपुरा, बड़ौदा-390010 | जीजे/17389 | 1-4-91 से 31-3-94 | 2/3710/91 |
| 9. | ऐपेक्स केनस एण्ड कानटेनर्स 224, जी आई डी सी, एस्टेट, मेकरपुरा, बड़ौदा-390010 | जीजे/20093 | 1-12-90 से 30-11-93 | 2/3711/91 |
| 10. | अभिनव सर्विसेस (प्रा०) लिमिटेड, एलोबिक कालोनी, एलैम्बिक रोड, बड़ौदा-390003 | जीजे/20096 | 1-4-91 से 31-3-94 | 2/3712/91 |
| 11. | रक्षक सर्विसेस (प्रा०) लिमिटेड, एलैम्बिक कालोनी, एलैम्बिक रोड, बड़ौदा-390003 | जीजे/20097 | 1-4-91 से 31-3-94 | 2/3713/91 |

**अनुसूची-2**

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1422—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना, जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-I) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थपना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फाइल नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स गत्ता टीन वर्क्स प्रा० लि०, श्रीकान्थ रोड, पी० बी० नं० 1705, अरनाकुलम, कोचीन-682016 | के० आर०/1167 | 1-12-88 से 30-11-91 | 2/3759/91 डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स एच० एम० टी० एम्पलाईज कैंटीन का० प० सोमायटी लि०, कालामाशरी-683503 | के० आर०/3394 | 1-3-89 से 28-2-92 | 2/3758/91– डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स केरला स्टेट का० प० हाऊसिंग फैडरेशन लि०, नं० 4330, कैलूर अरनाकुलम, कोचीन-682017 | के० आर०/10337 | 1-10-88 से 30-9-91 | 2/3759/91– डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स मासोनिलन (इण्डिया) लि०, XII/479-बी, अस्पताल जंक्शन आलवे-683101, केरला स्टेट, (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली में स्थित शाखों सहित) | के० आर०/10945 | 1-12-87 से 31-11-90 | 2/3760/91– डी० एल० आई० |

**अनुसूची-2**

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसमें इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम कर दिए जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

**छावनी बोर्ड**

**जल पहाड़, दिनांक 16 अगस्त 1991**

सं० 34/II/80/सी जलपहाड़ छावनी में भवनों के परिनिर्माण और पुनः परिनिर्माण का विनियम करने के लिए उप-विधियों का एक प्रारूप छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड के नोटिस सं 34/II/80 सी/तारीख 12 अक्तूबर, 1990 के साथ प्रकाशित किया गया था और ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त नोटिस जनता को उपलब्ध करा दिया गया था, तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त प्रारूप नोटिस 12 अक्तूबर, 1990 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ।

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर छावनी बोर्ड, जलपहाड़ को जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 284 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उपविधियों के उक्त के प्रारूप का सम्यकतः अनुमोदन और पुष्टि कर दी है :

अतः, अब, छावनी बोर्ड, जलपहाड़, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से जलपहाड़ छावनी में भवनों के परिनिर्माण और पुनः परिनिर्माण के लिए निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम जलपहाड़ छावनी के भीतर का परिनिर्माण और पुनःपरिनिर्माण विनियमन उपविधि है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।

2. भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना कार्यपालक अधिकारी को दी जाएगी :—

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करना चाहता है, अपने इस आशय की एक सूचना लिखित रूप में इन उपविधियों से संलग्न प्ररूप 'क' में कार्यपालक अधिकारी को देगा और साथ ही स्वयं या अपने प्राधिप्ररूप 'क' में कार्यपालक अधिकारी को देगा और साथ ही स्वयं या अपने प्राधिकृत अधिकर्ता जरा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित की दो प्रतियां, यदि विशेष रूप से अपेक्षित हों तो तीन प्रतियां, भी प्रस्तुत करेगा—

(क) उस भूमि का स्थल रेखांक, जिस पर भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करना आशयित है,

(ख) बालकोनियो और बाहर निकले हुए भागो को दर्शाते हुए, विमान भवन, यदि कोई है, के रेखांक के साथ परिनिर्माण या पुन परिनिर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित भवन का रेखांक, और

(ग) इन उप-विधियों से संलग्न प्ररूप "ख" में ब्यौरेवार विनिदेश ।

3. स्थल रेखांक में अपेक्षित विशिष्टियां —

प्ररूप "क" और प्ररूप "ख" की प्रतियां, छावनी कार्यालय से 11 रु० प्रति प्ररूप के सदाय पर प्राप्त की जा सकेंगी । स्थल रेखांक ऐसे मापमान से तैयार किया जाएग जो एक फुट के लिए एक इंच के आठवें भाग से कम न हो । प्रयोग किया गया मापमान रेखांक पर चिह्नांकित किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को दर्शायेंगे—

(क) उत्तरी बिन्दु की दशा ?

(ख) स्थल की सीमाएं जहां भवन स्थित है या है अथवा स्थित किए जायेंगे,

(ग) पड़ौस के भागों के सम्बंध में स्थल की स्थिति, और ऐसे भागों यदि कोई है, जहां इसकी सीमाएं स्पर्श करती है, के संबंध में ऊंचाई खंड पर स्थल का स्तर,

(घ) निम्नलिखन के संबंध में प्रस्तावित की स्थिति .

(1) स्थल की सीमाएं, और

(2) सभी पार्श्वस्थ भाग,

(ङ) स्थल की सीमाओं के बीस फुट के भीतर विद्युत और खम्बों के साथ भवनों और की रेखा-चित्र,

(च) पड़ौस के घरों या परिसरों यदि कोई हो, के क्रमांक के साथ स्थल का नाम, यदि कोई है और साथ ही उन सभी भागों के नाम जिनके साथ सीमाए स्पर्श करती है,

(छ) भवनों और विभिन्न तलों तक पहुंचने के साधन,

(ज) पड़ौस के भवनों के अग्रभाग की रेखा और पार्श्वस्थ भवनों की सीमाएं,

(झ) भवन के सामने छोड़ा जाने वाला अबाध पथ या रास्ता ,

(ञ) वायु के अबाध परिसंचरण और स्क्वेंजिंग और अग्निशमन को सुकर बनाने के लिए भवन के साथ छोड़ा जाने वाला स्थान,

(ट) छत और घर के जल-निकास और लाइन की सतह के जल-निकास के व्ययन की रीति को दर्शाते हुए नालियों का संरेखण,

(ठ) नालियों के समस्त मठ गटरों और अधोगामी स्पाउट शौचधरों और अन्य स्वच्छता सम्बंधी सुविधाओं की स्थिति और पूर्ण ब्यौरे ।

4. भवन रेखांक भी ऐसे मापमान से तैयार किया जाएगा जो एक फुट के लिए एक इंच के आठवें भाग से कम न हो। इसके अन्तर्गत भूरेखांक, कोई ऊंचाई और खंड भी है और अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को दर्शाएगा :—

(क) भू-तलप्रथम या ऊपरी तल और प्रत्येक अतिरिक्त तल,

(ख) भवन की मुख्य दीवारों के आगे बाहर निकले हुए सभी भागों की स्थिति और लम्बाई व चौड़ाई,

(ग) सभी प्रस्तावित नालियों, शौचालयों, पाखानों, मूत्रालयों और चह बच्चों की स्थिति,

(घ) नीव कास्तर और चौड़ाई और उस भाग के स्तर के सम्बंध में, जिसपर प्रस्तावित भवन का अग्रभाग स्पर्श करता है, सबसे निचले तल का स्तर,

(ङ) ऐसी दीवारें जो बराबर के भवन के साथ सामान्य हैं,

(च) प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक कमरे में लगी खिड़कियों, और दरवाजों और वायु संचार द्वारों का आकार,

(छ) भवन के अन्दर और उसके चारों ओर खाली, स्थान,

(ज) बाहरी दीवारों, साझी दीवारों, नीव ऊपरी, छतों, तलों, जीनों, अग्नि स्थलों, चिमनियों और स्नान गृहों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री ।

(झ) वह प्रयोजन जिसके लिए भवन का प्रयोग आशायित है,

(ञ) भवन का वायु संचार, कमरों का न्यूनतम धन क्षेत्रफल, एसी मंजिलों की संख्या और ऊंचाई जिनसे मिलकर भवन बना है ।

(ट) आग लगने की दशा में, भवन से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले साधन,

(ठ) सबसे ऊपरी तल के ऊपर की, जहां मानव को निवास करना है और खाना बनाने की संक्रियाएं की जानी हैं, छत की ऊंचाई और, ढलान और

(ड) अन्य कोई बात, जिससे भवनों की वायु संचार और स्वस्थता पर प्रभाव पड़ता हो ।

टिप्पणी :—रेखांक पर, नए कार्य को किसी सुभिन्न रंग से दर्शाया जायगा और प्रयोग किए जाने वाले रंगों के सम्बन्ध में उस पर कुंजी दी जाएगी ।

5. फीस के संदाय पर छावनी कार्यालय द्वारा स्थल रेखांक और भवन रेखांक का तैयार किया जाना ।

यदि कोई व्यक्ति, इन उप विधियों द्वारा रेखांक और विशिष्टियां देने में असमर्थ है तो वह कार्यपालक अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और ऐसी फीस के अग्रिम संदाय पर, जो समय समय पर छावनी प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए, अपने लिए इन्हें तैयार करा सकेगा ।

6. आवासीय कमरे के लिए छावनी प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्रफल :—

मानव निवास के लिए आशयित प्रत्येक कमरे की न्यूनतम क्षमता, छावनी प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी ।

7. छावनी प्राधिकरण द्वारा विभिन्न भवन रेखांक तैयार करने के लिए फीस की रकम :—

छावनी प्राधिकरण उस प्रकार के भवन जिसका निर्माण छावनी क्षेत्र में किया जाएगा या उसके भाग के लिए रेखांक और विशिष्टियां उपलब्ध करा सकेगा और निम्नलिखित दरों फीस प्राप्त करेगा, अर्थात् :—

(क) पहले वर्ग का घर (बंगला) : 15 रु० से 30 रुपये,

(ख) दूसरे वर्ग का घर (जिसमें तीन या अधिक कमरे हों) 10 रुपय से 20 रुपये,

(ग) तीसरे वर्ग का घर (जिसमें एक या दो कमरे हों) 2 रु० से 3 रु०,

(घ) रेखांक में संशोधन : 5 रु० से 10 रु०,

8. कुछ स्थानों पर भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध :—

(क) मानव निवास के लिए आशायित कोई भवन ऐसे स्थल पर परिनिमित नहीं किया जाएगा जो भली प्रकार से नालियों की व्यवस्था करने में सक्षम न हो ।

(ख) मानव निवास के लिए आशायित कोई भवन ऐसे परिनिमित नहीं किया जाएगा जो मुखमवन तत्व या किसी जन्तु अथवा सब्जी के तत्वा से भरा हुआ है, या जहां पर ऐसे तत्व का भंडारण हो गया है जब तक कि ऐसे तत्व को भली प्रकार से वहां से खुदाई द्वारा या अन्यथा ऐसे स्थल पर से हटाया नही जाता ।

(ग) किसी सार्वजनिक नाली या जल सप्लाई पाइप पर किसी भवन का निर्माण या उस पार अधिक्रमण नहीं किया जाएगा ।

9. तल और बाहरी दीवारों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ विशिष्टियां - प्रत्येक भवन का तल और बाहरी दीवारों भू-स्तर से 1 या 1/2 फुट की ऊंचाई तक पीडक जन्तु-सह तत्व से तैयार की जाएगी ।

10. छतों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ विशिष्टियां:—

(क) सभी छतों के बाहरी क्वच टाइल या लोह-पत्तरों या अन्य अज्वलनशील तत्वों से बनाए जायेंगे ।

(ख) सपाट छतों की दशा में, गढों में जल के एकत्र होने रोकने के लिए, तल का पर्याप्त रूप से ढाल बनाया जायगा, तुफानी जल की अबाध निकासी के लिए मुंडेर की दीवार, यदि कोई हो, में से पर्याप्त छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी ।

11. भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ विशिष्टियां –

(क) जलपहाड़ छावनी के अधिसूचित सिविल क्षेत्र में अनुज्ञय तल स्थान सूचक 1 मीटर होगा और अधिसूचित सिविल क्षेत्र से बाहर 0.5 मीटर होगा ।

(ख) अधिसूचित सिविल क्षेत्र के बाहर स्थलों के लिए भूमि की परिधि या प्लाट के साथ पार्श्ववती खुला स्थान कम से कम 45 मीटर होगा ।

(ग) सभी भवनों, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक । सरकारी भवन हैं, की अधिकतम ऊंचाई 18 मीटर तक निर्बन्धित होगी ।

(घ) छावनी के सभी क्षेत्रों में अधिकतम अनुज्ञेय मंजिल भवन दो तल होंगे ।

आर० डी० चतुर्वेदी,
छावनी कार्यपालक अधिकारी

प्ररूप 'क'

(उपविधि 2 (1) देखिए)

छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 179 के अधीन किसी भवन के परिनिर्माण या पुन परिनिर्माण की सूचना।

प्रेषक

————————————

————————————

————————————

सेवा में,

कायपालक अधिकारी,

————————छावनी

में छावनी अधिनियम, 1925 की धारा 179 के अधिन यह सूचना देता हू कि में संलग्न प्ररूप 'ख' में विनिर्दिष्ट——

————————————

————————————

(यहां मार्ग, वार्ड, बाजार आदि भरें)

में स्थित एक भवन का परिनिर्माण । पुन परिनिर्माण करना चाहता हूं । अपेक्षित रेखांक और विशिष्टियां संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

प्ररूप 'ख'

(उप-विधि 1 (ग) देखिए)

प्रस्तावित भवन के लिए विशिष्टियां

1. पूर्ण भवन उसके किसी पर्याप्त भाग के परिनिर्माण । पुन· परिनिर्माण की दशा में :—

(क) मकान य स्थल की सख्या, यदि कोई है————

————————————

(ख) मार्ग, बाजार या परिक्षेत्र का नाम————

————————————

(ग) वह प्रयोजन जिसके लिए भवन का प्रयोग आशायित ————————

————————————

(घ) मंजिलों की सख्या जो भवन में होंगी————

(ङ) भवन के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सामान ————————

————————————

(च) सभी दरवाजों, खिड़कियों और वायु संचार द्वारा की स्थिति और लंबाई चौड़ाई————

————————————

(छ) निवासियों की लगभग संख्या जिनकी वास-सुविधा का प्रस्ताव है ————————

(ज) उपलब्ध कराए जाने वाले शौच घरों की सख्या

————————————

2. लघु परिवर्तन या परिवर्धन की दशा में————

(क) मकान की संख्या, यदि कोई है————

(ख) मार्ग, बाजार या परिक्षेत्र का नाम————

(ग) प्रस्तावित परिवर्तन या परिवर्धक का संक्षिप्त वर्णन ————————

(घ) ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन में प्रयोग किया जाने वाला सामान ————————

————————————

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

छावनी बोर्ड

जबलपुर छावनी, दिनांक 29 जुलाई, 1991

सं० 7196/पुनरिक्षण/जल कर/1687—जबलपुर छावनी की सीमा में जल-कर और जलवर में सशोधन करने का प्रस्ताव एक अधिसूचना प्ररूप में 16 अप्रैल, 1991 को प्रकाशित किया गया । छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 61 व 255 की अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना को छावनी बोर्ड के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगाया गया था ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी सम्बन्धित व्यक्ति नोटिस प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन के अन्दर अपने सुझाव और आपत्तियां छावनी परिषद् में प्रस्तुत कर सकें ।

उक्त प्रारुप पर जनता से प्राप्त हुई सभी आपत्तियों और सुझावों पर छावनी परिषद् द्वारा विचार किया गया। अतः अब अधिनियम की धारा प्रदता शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय प्राप्त सरकार की अधिसूचना सख्या 547-337-11, दिनांक 31 मार्च, 1928 का उन्मूलन करते हुए, छावनी परिषद्, जबलपुर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, एतद्द्वारा सलग्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर कर निर्धारित करती है, जिसे छावनी परिषद्, जबलपुर की सीमा में जल-कर और जलवर के नाम से जाना जाएगा ।

सामान्य जल-कर जबलपुर छावनी के अन्तर्गत स्थित मकान या जमीन अथवा दोनों पर वार्षिक मूल्यांकन के— आधार पर उसके मकान मालिक पर लगाया एवं भुगतान किया जायगा ।

जहां छावनी परिषद् ने नलों या बिना नलों द्वारा जल आपूर्ति की हो वहाँ जल मापक यंत्र अथवा बिना जल मापक यंत्र के द्वारा होने वाले सभी जलपूर्ति के चार्जेस का भुगतान मकान मालिक/रहवासी/लीजधारी द्वारा किया जाएगा ।

तालिका

| नल का व्यास | घरेलू उपयोग हेतु | गैर घरेलू उपयोग हेतु |
|---|---|---|
| (क) जल मापक यंत्र द्वारा | 0.80 रु० प्रति 1000 लीटर | रु० 2/– प्रति 1000 लीटर |
| (ख) बिना मीटर द्वारा | 1/2" रु० 15/– प्रति माह | |
| | 3/8" रु० 12/– प्रति माह | रु० 24– प्रति माह |
| | 3/4" रु० 30/– प्रति माह | रु० 50/– प्रति माह |
| | 1" रु० 50/— प्रति माह | रु० 100/– प्रतिमाह |

3. जबलपुर नगर निगम के प्रत्यक्ष जल-दर/कर छावनी परिषद्, जबलपुर द्वारा वसूल किए जाएंगे ।

सामान्य जल-कर वार्षिक किराया मूल्यांकन के 5% की दर पर लगाया जाएगा ।

उपरोक्त, जल मापी यंत्रों को लगाने एवम् उनकी देखभाल के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा । जल मापी यंत्र के असफल होने या काम न करने की स्थिति में जल-दर तालिका "बी" में दिये गए दरों के अनुसार वसूल किया जाएगा ।

दण्ड धारा : जल-कर या जल-दर, भुगतान की तिथि से 3 माह के भीतर प्राप्त न होने की स्थिति में या तो देय राशि पर 1 प्रतिशत परन्तु जो किसी भी स्थिति में 5 रु० से कम न हो की दर से मालिक, पट्टाधारी या सम्बन्धित रहवासी पर दण्ड लगाया जाएगा अथवा उक्त राशि की अदायगी न होने तक उस सम्बधित व्यक्ति की जल आपूर्ति का स्रोत बाद कर दिया जाएगा । सम्बन्धित व्यक्ति को पुनः जल कनेक्शन लेने के लिए या जल स्रोत स्थापित करने के लिए मूल्यांकित राशि को जमा करना होगा ।

साथ ही, कार्यपालन अधिकारी द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 259 के तहत दिये गये सभी वसूली आदेश न्यायसंगत होंगें और जब तक बोर्ड को भुगतान प्राप्ति से पूर्ण संतोष न हो जाए तब तक यह राशि प्रभावित संपत्ति पर देय रहेगी ।

श्रीमती शांति वेंकटासन
छावनी अधिशासी अधिकारी, जबलपुर
महानिदेशक सं० 53/6/सी/र० स०/90

RESERVE BANK OF INDIA

SECRETARY'S DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400023, the 5th August 1991

Amendment to Reserve Bank of India General Regulations, 1949, Regulation 24.

No. 1.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (n) and Sub-Section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to Sub-Regulations (i) & (ii) of Regulation 24 of the Reserve Bank of India General Regulation, 1949, viz., For the existing Sub-Regulations (i) & (ii) of Regulation 24, the following Regulations shall be substituted with effect from June 6, 1991.

24(i) "Directors nominated under Section 8(1) (b) and 8 (1) (c) and 12(4) of the Act shall receive a fee of Rs. 300 for each meeting of the Central Board and Committee of the Central Board which they attend".

24(ii) "Members of Local Board shall receive a fee of Rs. 300 for each meeting of the Local Board which they attend."

S. S. TARAPORE
Executive Director.

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

BOMBAY, the 9th August 1991

No. 9/1991.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Dr. (Miss) Amrita Patel, 'Savita', Bhikabhai Marg, Vallabh Vidyanagar (Gujarat), as Director on the Board of Directors of State Bank of saurashtra for a period of three years with effect from 9th August 1991 to 8th August 1994 (both days inclusive) in place of Ms. Hasuben R. Gurjar.

Sd/- ILLEGIBLE
Chairman

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700071, the 7th August 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/5/4/91-92.—With reference to the Institute's Notification No. 4CA(1)(24)67-68 dated 7-10-67, 3ECA/4/7/89-90 dated 3-11-1989 and 3ECA/4/4/90-91 dated 10-11-1990, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the names of the following member with effect from the dates mentioned against their names :—

| Sl. No. | Membership No. | Name & Address | Date of Restoration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 7678 | Shri Bir Bhadra Mishra, A.C.A., Manager (P & GS), (D.M), L. I. C. of India, C. M. D. O., 16, Chittaranjan Avenue, 9th Floor, CALCUTTA-700 072. | 18-4-91 |
| 2. | 14451 | Shri Rajat Kanti Ghatak, A.C.A., 150/A, Motilal Nehru Road, CALCUTTA-700 029. | 3-6-91 |
| 3. | 43117 | Shri Sanjay Kumar Somani, A. C. A., C/o Mandervani Colliery, Post Office - Pandaveswar, District - Burdwan-713346. | 12-6-91 |
| 4. | 51189 | Subhanlal Bandyopadhyay, F.C.A., 1/A, Kamardanga Road, Flat No. 3, CALCUTTA-700 046. | 26-6-91 |

M. C. NARASIMHAN
Secretary

## THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700016, the 30th July 1991

No. 16-CWR (1112-1116)/91.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and work Accountants Regulation, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by subsection (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri V. K. Sitaram Bhat, FICWA, Kalasa-577124, Dt. Chikmagalur, Karnataka (Membership No. 1178) with effect from 15th April, 1989 (2) Shri D. R. S. Siva Sah, BSC, AICWA, No. 136, Iyah Mudali Street, (Upstairs), Chintadripet Madras-600002 (Membership No. 4403) with effect from 6th July, 1989 (3) Shri E. K. Venkataramani, BSC (ENGG), FIE, AICWA, 34, T. S. V. Koil Street, Mylapore, Madras-600 004 (Membership No. 504) with effect from 24th May 1991 (4) Shri Monilal Bandopadhyay, BCOM, AICWA, 14 Rajkrishna Street, Uttarpara-712258 (Membership No. 550) with effect from 19th March 1991 and (5) Shri Ct. Karuppiah, FICWA, Deputy General Manager (Finance), E. I. D. Parry (India) Ltd., Madras-600 001 (Membership No. 2793) with effect from 24th May, 1991, on account of death.

S. R. ACHARYYA
Secretary

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th August 1991

*CORRIGENDUM*

No. 1(1)-1/65E.I(A).—In the Notification No. 1(1)-1/65-E.I(A), dated 24-1-1991 published in Gazette of India No. 7 Part-III, Section 4, dated 16-2-1991 (Magha 27, 1912), the following shall be substituted.

1. The word 'Verification' appearing under Column. 2 in penultimate line on page-336 shall be substituted with word 'variation'.

2. The 'Note' appearing as Foot Note at the bottom on page-336 shall be read under Column. 8 at the end.

G. L. KAPOOR
Administrative Officer

## OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 19th August 1991

*CORRIGENDUM*

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/20127.— In Schedule I of notification No. 2/1959/DLI Exemp/89/Pt.I dated 28-3-90 published in the Gazette of India Part II Section IV dated 14-4-90 the date of period for which exemption is further extended as shown under Col. No. 6 against Sl. No. 1 may be read as 31-12-91 for 31-12-92.

The 20th August 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1398.—WHEREAS M/s. Secals Limited, 8, Rutland Gate, Madras-600 006 (Code No. TN/9817) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, is enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madras from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-12-87 to 30-11-90 and 1-12-90 to 30-11-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amndment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemn / 89/Pt.I. / 1404.—WHEREAS Indian Express (Madural) Ltd., Kalor, Kochin-17 (KR/3220) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separte contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014 (336) 85/SS.II dated 31-1-86 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 31-1-89 to 30-1-92 upto and inclusive of the 30-1-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of

India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1410.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separte contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

## SCHEDULE-I

*Region : DELHI*

| Sl. No. | Name and Address of the establishment | Code No. | No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended | Date of expiry earlier exemption | Period for exemption further extended | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s. Jaipur Golden Transport Company (Regd.), 472/1, Chist Chaman, Krishan Ganj, Delhi-110007 with branches located at Agra, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Indore, Kanpur, Rewari, Rohtak, Ratlam and Meerut. | DL/783 | 2/1959/DLI/Exam/89/Pt. I/870 dated 20-10-89. | 11-9-90 | 12-9-90 to 11-9-93 | 2/485/81/DLI |
| 2. | M/s. Engineer India Ltd., 1, Bhikaji Cam Place, New Delhi-110 066. | DL/2097 | S-35014/82/PF. II/SS. II/ dated 2-6-86. | 24-9-88 | 25-9-88 to 24-9-91 | 2/140/78/DLI |
| 3. | M/s. Straw Products Ltd., Nehru House, Bahadurshah Zafar Marg, Post Box No. 7057, New Delhi-110 002. | DL/2806 | 2/1959/DLI/Exam/89 Pt. I/dated 19-9-90. | 28-2-90 | 1-3-90 to 28-2-93 | 2/635/81/DLI |
| 4. | M/s. Jai Shri Tea & Industries Ltd., Lal Dwara Building, Link Road, Tirath Nagar, New Delhi-110 055. | DL/2819 | S-35014/184/85/SS. IV/dated 21-8-85. | 20-8-88 | 21-8-88 to 20-8-91 | 2/1264/85/DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1416.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 [1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act] :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto. I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relexation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Baroda from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

## SCHEDULE — I

*Region : BARODA*

| Sl. No. | Name and Address of the Establishment | Code No. | Effective date of exemption | | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | | From | To | |
| 1. | Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, BARODA-390003. | GJ/991 | 1-11-89 | 31-10-92 | 2/3704/91/DLI |
| 2. | The Panchmahal District Co-operative Milk Producers Union Ltd., Lunawada Road, Post Box No. 37, GODHRA - 389 001. | GJ/3574 | 1-4-91 | 31-3-94 | 2/3705/91/DLI |
| 3. | Formson Pharmaceutical Gujarat (P) Ltd., Shankar Bhawan, Sayogi Gunj, BARODA-390 005. | GJ/4000 | 1-4-88 | 28-2-90 | 2/3603/91/DLI |
| 4. | Paushak Limited, Alambic Road, BARODA-390 003. | GJ/6851 | 1-11-89 | 31-10-92 | 2/3706/91/DLI |
| 5. | Esquire Enterprises, Plot No. 666, GIDC Estate, Makarpur, BARODA-390 010. | GJ/11079-A | 1-3-90 | 28-2-93 | 2/3707/91 |
| 6. | Manish Electricals, 377, GIDC Estate, Makerpura, BARODA. | GJ/11266 | 1-6-90 | 31-5-93 | 2/3708/91 |
| 7. | M/s. Tirupati Granties (P) Ltd., 34, Kunj Society, Alkapuri, BARODA-390 005. | GJ/15367 | 1-3-90 | 28-2-93 | 2/3709/91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Unifab. Engineers, Plot No. 107, G.I.D.C., Makerpura, BARODA-390 010. | GJ/17389 | 1-4-91 | 31-3-94 | 2/3710/91 |
| 9. | Apex Cans & Containers, 224, GIDC Estate, Makerpura, BARODA-390 010. | GJ/20093 | 1-12-90 | 30-11-93 | 2/3711/91 |
| 10. | Abhinav Services (P) Ltd., Alembic Colony, Alembic Road, BARODA-390 003. | GJ/20096 | 1-4-91 | 31-3-94 | 2/3712/91 |
| 11. | Raksak Services (P) Ltd., Alembic Colony, Alembic Road, BARODA-390 003. | GJ/20097 | 1-4-91 | 31-3-94 | 2/3713/91 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such return to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1422.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relexation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Kerala from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE — I

*Region : KERALA*

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective date of exemption | | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | | From | To | |
| 1. | M/s. Datta Tin Works Pvt. Ltd., Sreekandath Road, (P. B. No. 1705), Ernakulam, COCHIN - 682 016. | KR/1167 | 1-12-88 | 30-11-91 | 2/3757/91 |
| 2. | M/s. HMT Employees Canteen Co-operative Society Ltd., KALAMASSERY - 683 503. | KR/3394 | 1-3-89 | 28-2-92 | 2/3758/91 |
| 3. | M/s. Kerala State Co-operative Housing Federation Ltd., Post Box No. 4330, Kaloor, Ernakulam, COCHIN-682 017. | KR/10337 | 1-10-88 | 30-9-91 | 2/3759/91 |
| 4. | M/s. Masoneilan (India) Ltd., XIV/479-B, Hospital Junction, ALWAYE-683 101. Kerala State. (With its branches to located at Bombay Calcutta, Madras and New Delhi). | KR/10945 | 1-12-87 | 30-11-90 | 2/3760/91 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

## CANTONMENT BOARD

Jalapahar, the 16th August 1991

No. 34/III/107/C.—Whereas the draft bye-laws for regulating the erection and re-erection of buildings in Jalapahar Cantonment was published with the Cantonment Board's notice No. 34/II/80/C dated, the 12th October, 1990 as required by section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date of the said notice was made available to the public;

And whereas the aforesaid draft notice was made available to the public on 12th October, 1990;

And whereas no objection or suggestion was received from the public by the Cantonment Board, Jalapahar within the stipulated period;

And whereas the Central Government have duly approved and confirmed the said draft of the bye-laws as required by sub-section (1) of section 284 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 286 of the Cantonments Act, 1924, the Cantonment Board, Jalapahar, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following bye-laws for regulating the erection nad re-erection of buildings Jalapahar Cantonment, namely :—

*Short title and commencement* :—

1. (i) These bye-laws may be called the Bye-laws for regulating the erection nad re-erection of buildings within Jalapahar Cantonment.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Intimation regarding construction of buildings to be given to the Executive Officer :—

Every person intending to erect or re-erect a building shall give notice of such intention in writing to the Executive Officer in form-"A" appended to these bye-laws, and shall at the same time submit in duplicate or, if specially required in triplicate, duly signed by himself/herself or by his/her authorised agent —

(a) a site plan of the land on which it is intended to erect or re-erect the building;

(b) a plan of the building which it is proposed to erect or re-erect together with a plan of the existing buildings, if any, showing thereat, balconies and projections; and

(c) the specifications detailed in form-"B" appended to these bye-laws;

3. Particulars required of a site plan :—

Copies of form "A" and "B" may be obtained at the Cantonment Office on payment of Re. 1/- each per form. The site plan shall be drawn to a scale of not less than one-eighth of an inch to the foot. The scale used shall be marked on the plan which shall clearly show,

(a) the direction of the north point;

(b) the boundaries of the site on which the building or buildings is or are situated, or will be situated;

(c) the position of the site in relation to the neighbouring streets, and by an elevation section the level of the site in relation to the streets, if any on which it abuts;

(d) the position of the proposed building in relation to —

(i) the boundaries of the site, and

(ii) all adjacent streets;

(e) a sketch of the buildings and premises together with electric wires and poles within twenty feet of the boundaries of the site;

(f) the names, if any, and with of all streets on which the site abuts, together with the numbers if any, of adjoining house or premises;

(g) the means of access to the buildings and various floors;

(h) the line of frontage of adjoining building and boundaries of adjacent buildings;

(i) the free passage or way to be left in front of the building;

(j) the space to be left about the building for free circulation of air and to facilitate scavenging and the prevention of fire.

(k) the alignment of drains showing the manner in which the roof and house drainage and surface drainage of the line will be disposed of;

(l) the position of and full details regarding all drains, gutters and down spouts latrine and other sanitary conveniences.

4. Particulars required of a building plan :—

The building plan shall also be drawn to a scale of not less than one-eighth of an inch to the foot. It shall include a ground plan, an elevation and a section, and will show inter-alia, the following;

(a) the ground floor, the first and upper floor and each of an additional floor,

(b) the position and dimensions of all projections beyond the main walls of the building,

(c) the position of all proposed drains, privies, latrines, urinals and cesspools;

(d) the level and width of the foundations and the level of the lowest floor with reference to the level of the street on which the front of the proposed building is to abut;

(e) the walls which are common to adjoining building;

(f) the size of windows and doors and ventilation openings for each room of every storey;

(g) the open space inside and surrounding the buildings;

(h) the materials to be used for external walls, party walls, foundations, roofs, ceilings, floors, staircases, fire places, chimneys and bathrooms;

(i) the purpose for which it is intended to use the buildings;

(j) the ventilation of the building, the minimum cubic area of the rooms and the number and height of the storeys of which the building may consist;

(k) the means to be provided for egress from the building in case of fire;

(l) the height and slope of the roof above the uppermost floor upon which human beings are to live or cooking operations are to be carried on and;

(m) any other matter affecting the ventilation and sanitation of the buildings.

NOTE.—A new work shall be indicated on the plan by a distinctive colour and a key to the colours used shall be given thereon.

5. Preparation of site plans and building plans by the Cantonment Office on payment of fees

If any person is unable to provide the plans and specifications required by those bye-laws, he may apply to the Executive Officer and have them prepared for him on payment in advance of such fees as may from time to time be fixed by the Cantonment Authority.

6. Minimum area of room for living to be prescribed by the Cantonment Authority :—

The minimum cubic capacity of every room intended for human habitation shall be fixed by the Cantonment Authority.

7. Amount of fees for preparation of different building plans by the Cantonment Authority :—

The Cantonment Authority may provide plans and specifications of the type of the building which may be erected in the Cantonment or any part thereof and may charge fees at the following rates, namely :—

(a) 1st class house (bungalow) Rs. 15 to Rs. 30;

(b) 2nd class house (containing three or more rooms) Rs. 10 to Rs. 20;

(c) 3rd class house (containing two rooms) Rs. 2 to Rs. 3;

(d) amendment of plans Rs. 5 to Rs. 10.

8. Ban on construction of buildings on certain sites :—

(a) No building intended for human habitation shall be erected upon a site that is incapable of being properly drained.

(b) No building intended for human habitation shall be elected upon any site which has been filled up with fecal matters or with any animal or vegetable matter, or upon which such matter may have been deposited, unless and until such material is properly removed by excavation or otherwise from such site.

(c) No building shall be erected over or encroached upon any public drain or any water supply pipe.

9. Some particulars required for construction of floor and outer-walls :—

The floor and outer wall of every building upto a height of 1½ feet from the ground level shall be of vermin-proof material.

10. Some particulars required for construction of roofs :—

(a) The outer covering of all roofs shall be made of tiles, iron-sheets, or other non-inflammable materials.

(b) In the case of flat roofs, the surface shall be graded at a sufficient slope to prevent accumulation of water in pools, adequate orifices being provided through the parapet walls, if any, to allow free escape of storm water.

11. Some particulars required for construction of buildings :—

(a) The permissible Floor Space Index shall be 1 metre in the notified civil area and 0.5 metre outside the notified civil area of Jalapahar Cantonment.

(b) Marginal open space along the periphery of land or plot shall be 4.5 metres minimum for sites outside the notified civil area.

(c) The height of all buildings including public/Government buildings will be restricted to a maximum of 18 metres.

(d) The maximum number of storeys permissible shall be ground plus two floors in all areas of the Cantonment.

R. D. CHATURVEDI
Cantonment Executive Officer,
Jalapahar

FORM "A"

[*See* Bye-laws 1 (1)]

NOTICE TO ERECT OR RE-ERECT A BUILDING UNDER SECTION 179 OF THE CANTONMENTS ACT, 1924.

From

_____

_____

_____

To

The Executive Officer,

_____ Cantonment.

I hereby give notice under section 179 of the Cantonment Act, 1924, that I intend to erect/re-erect a building as specified in Form B attached, situated in_____

_____

_____(here insert street, ward, bazar, etc.). The required plans and specifications are attached.

Signature _____

Date _____

FORM "B"

[*See* Bye-laws 2 (C)]

1. In the case of erection/re-erection of an entire building or a considerable portion thereof —

(a) Number of the house or site, if any.....

(b) Name of street, bazar or locality_____

(c) The purpose for which the building is intended to be used .....

(d) The number of storeys of which the building will consist .....

(e) The material to be used in the construction of the building .....

(f) The position and dimensions of all doors, windows and ventilation openings .....

(g) The approximate number of inhabitants proposed to be accommodated. .....

(h) The number of latrines to be provided.....
.....

2. In the case of minor alterations or additions —

(a) Name of the house, if any .....

(b) Name of street, bazar, or locality.....
.....

(c) A brief description of the alteration or addition proposed .....

(d) The material to be used for such alteration or addition .....

Signature _____

Date _____

CANTONMENT BOARD

Jabalpur Cantonment, the 29th July 1991

No. 7196/Revision/Water Tax/1687.—Whereas a notice of certain draft notification proposing to revise water tax and water charges within the limits of Jabalpur Contonment was published on the 16th April, 1991 by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the Office of the Cantonment Board as required by section 61 read with sections 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of thirty days from the date of publications of the said notice.

And whereas all the objections and suggestions, received from the public on the said draft have been duly considered by the Cantonment Board. Now therefore in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, and in supersession of the notification under Central Province Government No. 547-337-II dated the 31st March, 1928 the Cantonment Board Jabalpur with the previous sanction of the Central Government hereby impose a tax, to be known as the water tax and water charges within the limits of Jabalpur Cantonment at the rates specified in the Table annexed hereto.

The General water tax and water charges shall be charged, levied and paid for by the owner on the annual rental value of the lands and buildings or both situated within the limits of Jabalpur Cantonment.

The metered and non-metered water supply charges shall be paid by the owner/occupier/lessee, where the Cantonment Board has provided or is maintaining the water connection or a source of water supply be it piped or otherwise.

TABLE

**Water Tax**

| Size of Connection | Domestic | Non-Domestic |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Supply through Meter | 0·80 per 1000 litres. | Rs. 2/- per 1000 litres. |
| 2 Non metered— | | |
| 1/2" . . | Rs. 15/- per month | — |
| 3/8" . . | Rs. 12/- per month | Rs. 24/- per month |
| 3/4" . . | Rs. 30/- per month | Rs. 50/- per month |
| 1" . . | Rs. 50/- per month. | Rs. 100/- per month. |

3. The direct water charges/tax of Municipal Corporation Jabalpur shall be leviable toto by the Cantonment Board, Jabalpur.

General Water Tax 5% on annual letting value.

The Consumer is wholly responsible to install and maintain the water meter properly. In case of failure in the working of water meter or faulty/damaged meters the water charges shall be leviable as per the rates given in table at 'B'.

*Penalty Clause*—For non-payment of any kind of dues on account of water tax or water charges (as the case may be), for a period of 3 months after the same has become due, the owner, lessee or occupant of the affected premises shall be liable to have the water supply or source disconnected or ordered to be disconnected till recovery of dues in full with a maximum penalty of one percent per month on the dues, but not less than Rupees Five on such account. The affected person shall be further liable to pay all assessed reconnection/restoration charges to the Board before the water connections/source is restored.

It shall be further lawful for the Executive Officer to order recovery of all dues on account of water tax or water supply under section 259 of the Cantonments Act, 1924 and till full satisfaction of the claim made by the Board, the dues shall be deemed to be a charged on the affected property.

MRS. SHANTI DEVADASAN
Cantonment Executive Officer, Jabalpur.

DG DE No. 53/6/C/DE/90

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991